न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/200/2021 रजू दिनांकः 09.11.2021 रजि0 न0 2021/480

अपीलार्थीः–

श्री अमरचन्द मीना, निवासी 9/743, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली–110003

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 30.11.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.11.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/2041 दिनांक 12.11..2021 के माध्यम अवगत कराया है कि कार्यालय यू.ओ. नोट सं. 211 दिनांक 20.09.2021 के माध्यम से सूचना संबंधित अनुभाग/राजस्व प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट, अलवर से संकलित किये जाने उपरान्त राजस्व प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक राजस्व/आरटीआई/2021/5888 दिनांक 12.10.2021 के माध्यम से प्राप्त सूचनानुसार कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./विवध/2021/2011 दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। वांछित सूचना काल्पनिक/प्रश्नात्मक होने के कारण प्रावधनों के तहत अदेय है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)

जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर